राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 18382/2011

निशा सक्सेना पुत्री स्व. मुन्नी लाल, आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी 111-ए/412, अशोक नगर, कानपुर उ.प्र.।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य को आयुक्त, कॉलेज राजस्थान सरकार, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
2. सचिव, जे. बी. शाह बालिका (पी. जी.) कॉलेज, झुँझनू, राजस्थान।
3. डॉ. मनोरमा त्यागी, व्याख्याता, एस.वी. सरकार. कॉलेज, खेतड़ी, एसडीएम कोर्ट के पास, नीम का थाना रोड, खेतड़ी, जिला-झुंझुनू, राजस्थान।

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से :	श्री संदीप सक्सेना, श्री शिव चरण गुप्ता
प्रत्यर्थीगण (गण) की ओर से :	श्री एन.के. मालू, वरिष्ठ अधिवक्ता साथ में, श्री विष्णु बोहरा, सुश्री चारवी पटनी, श्री वी.बी. शर्मा, एएजी के लिए

माननीय श्री न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड

<u>आदेश</u>

<u>आदेश सुरक्षित करने की तारीख</u> : 29.03.2022

<u>आदेश उच्चारित करने की तारीख</u> : 08.04.2022

<u>रिपोर्टेबल</u>

याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ तत्काल याचिका दायर की गई है:

"अतः यह विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि:-

1. माननीय न्यायालय कृपया मामले का पूरा रिकॉर्ड तलब करे और उसकी जांच करने के बाद प्रत्यर्थीगण की कार्रवाई को रद्द करने और

आपास्त करने की कृपा करे और प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्ता को दिनांक 01.07.2019 से 01.04.1994 तक सभी परिणामी लाभों के साथ एडेड पर नियुक्त करने पर विचार करने का निर्देश दिया जाए और प्रत्यर्थी संख्या 2 को याचिकाकर्ता का सेवा रिकॉर्ड प्रत्यर्थी संख्या 1 को भेजने का निर्देश दिया जाए और प्रत्यर्थी संख्या 1 को राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत 1.4.2010 से 29.07.2011 तक सभी परिणामी लाभों के साथ वरिष्ठ व्याख्याता (मनोविज्ञान) के पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।

2. याचिकाकर्ता के हित के लिए कोई भी प्रतिकूल आदेश, यदि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान पारित किया जाता है, तो कृपया उसे रिकॉर्ड पर लिया जाए और उसे रद्द करने और आपास्त करने की कृपा की जाए।

3. कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे, कृपया याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया जाए।

4. याचिकाकर्ता के पक्ष में रिट याचिका का खर्चा प्रदान किया जाए।"

मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 17.07.1986 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता अर्थात प्रत्यर्थी संख्या 2 को शुरू में परिवीक्षा के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए जे.बी. शाह गर्ल्स पी.जी. कॉलेज, झुंझुनू में मनोविज्ञान में कॉलेज व्याख्याता के पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद, 15.12.1987 को उक्त पद पर उनकी सेवाओं की पुष्टि की गई और उसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय ने दिनांक 13.03.1992 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। इसके बाद याचिकाकर्ता की सेवाएं दिनांक 20.02.1993 के आदेश द्वारा समाप्त कर दी गईं, जिसके विरूद्ध उन्होंने राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान न्यायाधिकरण, जयपुर (संक्षेप में 'आरएनजीईआई न्यायाधिकरण') के समक्ष अपील प्रस्तुत की और दिनांक 02.05.2001 के निर्णय के तहत इसकी अनुमति दी गई और दिनांक 20.02.1993 को उनकी सेवा समाप्ति

के आदेश को रद्द और आपास्त कर दिया गया और उसे पिछले वेतन और परिणामी लाभों के साथ सेवा में निरंतरता के साथ बहाल करने का निर्देश दिया गया।

याचिकाकर्ता का मामला यह है कि आरएनजीईआई ट्रिब्यूनल द्वारा पारित निर्णय को प्रत्यर्थी संख्या 2-कॉलेज ने एकलपीठ सीडब्ल्यूपी संख्या 2809/2001 दायर करके इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी और 12.09.2001 को उसी पर निर्णय लिया गया था। उक्त आदेश को प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा खंडपीठ सिविल स्पेशल अपील (रिट) संख्या 896/2001 दायर करके खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी और इसे दिनांक 15.10.2001 के निर्णय के जरिए अपास्त कर दिया गया था, जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी क्रमांक 2 द्वारा विशेष अपील (सिविल) क्रमांक 4337/2002 दायर की गई थी और इसे भी दिनांक 04.03.2002 के आदेश द्वारा अपास्त कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता का मामला यह है कि राजस्थान सरकार ने प्रत्यर्थी संख्या 2-कॉलेज को मनोविज्ञान विषय में व्याख्याता के चार स्वीकृत पदों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की और प्रासंगिक समय पर जब सरकार द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2-कॉलेज को सहायता प्रदान की गई थी, याचिकाकर्ता अकेले ही मनोविज्ञान विषय में नियमित व्याख्याता था और मनोविज्ञान विषय में अन्य तीन व्याख्याता अस्थायी थे; अर्थात श्रीमती रीना शक्तावत, सुश्री नीलम कृष्णिया और सुश्री प्रीति सिंह तथा प्रत्यर्थी क्रमांक 3- डॉ. मनोरमा त्यागी सेवा में नहीं थीं। तत्पश्चात, कॉलेज शिक्षा निदेशक ने दिनांक 17.04.1995 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। इसके बाद, स्क्रीनिंग कमेटी ने दिनांक 04.12.1995 के आदेश के तहत अस्थायी व्याख्याताओं अर्थात श्रीमती रीना शक्तावत, श्रीमती रीना शक्तावत, सुश्री नीलम कृष्णिया और सुश्री प्रीति सिंह की सेवाओं को नियमित कर दिया, लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 3- डॉ. मनोरमा त्यागी के नाम पर मनोविज्ञान के व्याख्याता पद पर नियमित करने पर विचार नहीं किया गया।

रिट याचिका में यह भी दलील दी गई कि गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 (संक्षेप में '2010 के नियम') उन कर्मियों के लिए 01.12.2010 को लागू हुए जो स्वीकृत और सहायता प्राप्त पदों पर कार्य कर रहे थे और जो 2010 के नियमों के तहत नियुक्त हासिल करने की इच्छा रखते थे तथा उक्त नियमों के अनुसरण में

याचिकाकर्ता ने 2010 के नियमों के तहत नियुक्त होने की इच्छा व्यक्त करते हुए 04.02.2011 को एक आवेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि प्रत्यर्थी क्रमांक 2-कॉलेज द्वारा अन्य कनिष्ठ व्याख्याताओं के विकल्प प्रपत्र 2010 के नियमों के तहत उनकी नियुक्ति के लिए सरकार को भेजे गए थे, लेकिन याचिकाकर्ता का सेवा रिकॉर्ड प्रत्यर्थी क्रमांक 2-कॉलेज द्वारा नहीं भेजा गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता के मामले पर सरकार द्वारा 2010 के नियमों के तहत उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया गया और उसे सरकारी सेवा में समाहित/नियुक्त नहीं किया गया।

रिट याचिका के साथ-साथ प्रत्युत्तर और अतिरिक्त शपथ-पत्र में उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता मनोविज्ञान में कॉलेज व्याख्याता के अनुमोदित, सहायता प्राप्त और संस्वीकृत पद पर कार्यरत था, इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 2- कॉलेज को याचिकाकर्ता का सेवा रिकॉर्ड प्रत्यर्थी संख्या 1- आयुक्त, कॉलेज शिक्षा को भेजने का निर्देश दिया जा सकता है और याचिकाकर्ता को 2010 के नियमों के तहत व्याख्याता (मनोविज्ञान) 29.07.2011 से सभी परिणामी लाभों के साथ वरिष्ठ पद पर उसकी नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया जा सकता है।

दूसरी ओर प्रत्यर्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने रिट याचिका का विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया और याचिका के कथनों का खंडन किया और कहा कि याचिकाकर्ता को 17.07.1986 को व्याख्याता (मनोविज्ञान) के पद पर नियुक्त किया गया था। संस्था को सहायता नहीं मिली थी और यह पद न तो सरकार द्वारा अनुमोदित था और न ही स्वीकृत था। कॉलेज को दिनांक 01.04.1994 से सहायता प्राप्त संस्थान का दर्जा दिया गया लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा धारित पद न तो स्वीकृत था और न ही सहायता प्राप्त था। प्रत्यर्थी द्वारा यह दलील दी गई कि कॉलेज राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध है और व्याख्याता (मनोविज्ञान) के केवल चार पद स्वीकृत थे, जिनके लिए सरकार द्वारा सहायता दी गई थी अर्थात डॉ. मनोरमा त्यागी, श्रीमती रीना शक्तावत, सुश्री नीलम कृष्णिया और सुश्री प्रीति सिंह के लिए चार पद राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान नियम, 1993 (संक्षेप में 'आरएनजीईआई नियम, 1993') के नियम 26 और 27 के तहत सरकार द्वारा स्वीकृत और अनुमोदित किए गए थे। प्रत्यर्थी संख्या 2-कॉलेज द्वारा यह भी दलील दी गई कि याचिकाकर्ता द्वारा धारित पद पर कॉलेज को कभी कोई सहायता नहीं मिली क्योंकि उसकी नियुक्ति 1993 के नियमों

के नियम 26 और 27 के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं थी। उत्तर में यह भी दलील दी गई कि चूंकि याचिकाकर्ता का पद सरकार द्वारा न तो अनुमोदित था, न स्वीकृत था और न ही सहायता प्राप्त था, इसलिए 2010 के नियम लागू नहीं होते और याचिकाकर्ता इसका लाभ पाने की पात्र नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता ने कभी भी अनुदानित पद पर कार्य नहीं किया और न ही महाविद्यालय को याचिकाकर्ता के इस पद के विरुद्ध सहायता प्राप्त हुई क्योंकि याचिकाकर्ता गैर-अनुदानित पद पर कार्यरत था।

प्रत्यर्थी संख्या 1 ने रिट याचिका का उत्तर प्रस्तुत किया और रिट याचिका के दावों से इनकार किया और कहा कि प्रत्यर्थी संख्या 2-कॉलेज को वर्ष 1994-1995 में सहायता प्राप्त संस्थानों की सूची में शामिल किया गया था और व्याख्याता (मनोविज्ञान) के चार पदों को अनुमोदन दिया गया था, संस्वीकृत किया गया था और सहायता प्रदान की गई थी। यह भी निवेदन किया गया कि श्रीमती मनोरमा त्यागी, श्रीमती रीना शक्तावत, सुश्री नीलम कृष्णिया और सुश्री प्रीति सिंह व्याख्याता (मनोविज्ञान) के पद पर कार्यरत थीं और उनकी नियुक्ति को आरएनजीईआई नियम, 1993 के नियम 26 और 27 के तहत मंजूरी दी गई थी और तदनुसार सहायता भी प्रदान की गई थी। इन उपरोक्त चार स्वीकृत पदों के लिए चयन समिति ने संस्थान को कभी भी याचिकाकर्ता के पद पर अनुमोदन के लिए उसके नाम की सिफारिश नहीं की थी। उत्तर में यह भी दलील दी गई कि 2010 के नियम 01.12.2010 को लागू हुए और 2010 के नियमों के नियम 4 के मद्देनजर, वह नियुक्ति पाने के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि उनका मामला 2010 के नियमों के नियम 2 (छ) की परिभाषा में नहीं आता है। नियम 2 (छ) "कर्मचारी" शब्द से संबंधित है, जिसका अर्थ है एक मान्यताप्राप्त गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में काम करने वाला कर्मचारी और जो सहायता प्राप्त और संस्वीकृत पद परकाम कर रहा है और 2010 के नियमों के नियम 4 के अनुसार गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में केवल उन्हीं कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है जो इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख पर संस्वीकृत और सहायता प्राप्त पद पर कार्यरत हैं और जो 2010 के नियमों के तहत उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार नियुक्त होने के इच्छुक हैं। इन नियमों में इस शर्त पर नियुक्ति दी जा सकती है कि फॉर्म-1 में आवेदन पत्र संबंधित संस्था के सचिव को प्रस्तुत किया जाए। 2010 के नियमों के नियम 4 के उप-नियम (2) में कहा गया है कि संस्था के सचिव, सेवा विवरण का सत्यापन करने के बाद, कर्मचारियों के पूर्ण सेवा रिकॉर्ड

के साथ आवेदन पत्र को संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख से 10 दिनों के भीतर अग्रेषित करेंगे। संस्था के सचिव इस आशय का एक प्रमाणपत्र संलग्न करेंगे कि कर्मचारियों द्वारा उल्लिखित सेवा विवरण सही हैं। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उत्तर में दलील दी गई कि चूंकि याचिकाकर्ता संस्वीकृत, अनुमोदित और सहायता प्राप्त पद पर काम नहीं कर रही थी, इसलिए, वह नियुक्ति पाने के लिए 2010 के नियमों के नियम 4 के तहत विचार किए जाने के योग्य नहीं है।

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने अपने उत्तर में उनके द्वारा बताए गए तथ्यों को दोहराया और निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा जताया:-

1. राजेंद्र प्रसाद शर्मा एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य, 2014 (2) आरएलडब्ल्यू 1520 (राजस्थान) में प्रकाशित; और

2. रविशंकर श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, 2011 एससीसी ऑनलाइन (राजस्थान) 116 में प्रकाशित किया गया।

सुना गया।

दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया गया।

इस याचिका में मुद्दा यह है कि क्या याचिकाकर्ता झुंझुनू में जे.बी. शाह गर्ल्स कॉलेज में वरिष्ठ व्याख्याता (मनोविज्ञान) के संस्वीकृत, अनुमोदित और सहायता प्राप्त पद पर कार्यरत था? यदि हां, तो क्या वह 2010 की नियमावली के नियम 4 के तहत सरकारी सेवा में वरिष्ठ व्याख्याता (मनोविज्ञान) के पद पर नियुक्ति की पात्र है?

2010 के नियमों का नियम 4 सरकारी सेवा में नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित है और इसे निम्नानुसारः पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> "4. सरकारी सेवा में नियुक्ति की प्रक्रिया-
>
> (1) गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में नियमित रूप से नियुक्त ऐसे कर्मचारी जो इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख पर संस्वीकृत एवं सहायता प्राप्त पद पर कार्यरत हैं तथा जो राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत शर्तों के अनुसार नियुक्त होना चाहते हैं और उन्हें इन नियमों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, इन नियमों को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर संबंधित संस्थान के सचिव को एक अग्रिम प्रति के साथ अपनी सेवा विवरण का उल्लेख करते हुए संबंधित नियुक्ति

प्राधिकारी को फॉर्म-I में एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(2) संस्था के सचिव, सेवा विवरण का सत्यापन करने के बाद, आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख से 10 दिनों के भीतर कर्मचारी के पूर्ण सेवा रिकॉर्ड के साथ संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को आवेदन अग्रेषित करेंगे। संस्था के सचिव इस आशय का एक प्रमाणपत्र संलग्न करेंगे कि कर्मचारियों द्वारा उल्लिखित सेवा विवरण सही हैं।

(3) इन नियमों के तहत विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए विभिन्न गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों की उपयुक्तता का निर्णय स्क्रीनिंग समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें शामिल हैं: -

(क) यदि पद आयोग के क्षेत्राधिकार के भीतर है —

(i) आयोग का अध्यक्ष अथवा उसका नामिती	अध्यक्ष
(ii) प्रधान सचिव, कार्मिक विभाग अथवा उसका नामिती, जो उप सचिव के रैंक से नीचे का न हो	सदस्य
(iii) संबंधित विभाग का प्रधान सचिव अथवा उसका नामिती, जो उप सचिव के रैंक से नीचे का न हो	सदस्य
(iv) संबंधित विभाग का निदेशक	सदस्य-सचिव

(ख) यदि पद आयोग के क्षेत्राधिकार के भीतर नहीं है —

(i) संबंधित विभाग का निदेशक अथवा उसका नामिती अध्यक्ष

(ii) संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी सदस्य-सचिव

(4) समिति उम्मीदवारों की उपयुक्तता का निर्णय करने के बाद उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम नियुक्ति के लिए संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगी।

इसी प्रकार 2010 के नियमों का नियम 5 सरकारी सेवा में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नियमों और शर्तों से संबंधित है और इसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"5. **सरकारी सेवा में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नियम एवं शर्तें** - सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में नियमित रूप से नियुक्त मौजूदा कर्मचारी जो इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को संस्वीकृत सहायता प्राप्त पद पर कार्यरत हैं, उन्हें निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों पर राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा के तहत नियुक्त किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) कर्मचारी के पास समान संवर्ग के सरकारी कर्मचारियों पर लागू प्रासंगिक सेवा नियमों के अनुसार संबंधित पदों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता होनी चाहिए।

(ii) सरकार में जिन पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, उनमें प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों के लिए एक अलग डाइंग कैडर का गठन किया जाएगा।

(iii) नियुक्त कर्मचारियों को केवल ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेजों/स्कूलों, जैसा भी मामला हो, में अनुसूची के कॉलम संख्या 2 में निर्दिष्ट समकक्ष पदों पर तैनात किया जाएगा। हालाँकि, यदि सरकार में ऐसा कोई समकक्ष पद नहीं है, तो उन्हें सहायता प्राप्त पदों के समान वेतनमान वाले अन्य पदों पर नियुक्त किया जाएगा:

[परंतु यह कि यदि कॉलेज शिक्षा अनुभाग में गैर-शिक्षण पदों पर नियुक्ति के लिए स्क्रीन किए गए गैर-शिक्षण कर्मचारी और ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग के लिए पद उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्रों में इन नियमों द्वारा शासित विभाग में किसी अन्य समकक्ष पद पर नियुक्त किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को कॉलेज शिक्षा निदेशालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नये विभाग में नियुक्त माना जायेगा।]

(iv) इन नियमों के तहत नियुक्त कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक किसी भी पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे। तथापि, उन्हें राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों की तरह सुनिश्चित कैरियर प्रगति/कैरियर उन्नति योजना का लाभ दिया जाएगा। संस्वीकृत और सहायता प्राप्त पदों पर उनकी नियुक्ति की तारीख से अवधि की गणना सुनिश्चित कैरियर प्रगति/कैरियर उन्नति योजना के अनुदान के लिए की जाएगी।

(v) किसी भी कारण से जैसे ही सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति/सेवा के दौरान मृत्यु/कर्मचारी के इस्तीफे आदि के कारण पद रिक्त होने पर पद स्वतः समाप्त हो जाएंगे।

(vi) सभी नियुक्त कर्मचारियों का वेतन इन नियमों के तहत सरकार में शामिल होने की तारीख से छठे वेतन आयोग के अनुसार नियुक्ति के समय प्राप्त वेतन के आधार पर तय किया जाएगा। जो व्यक्ति पुस्तकालयाध्यक्ष और पीटीआई नियम, 1999 और सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों के लिए राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2001 सहित राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 1998 और कॉलेज शिक्षकों के लिए राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम के अंतर्गत वेतन ले रहे हैं, उन्हें इन नियमों के तहत नियुक्ति के बाद सरकार में शामिल होने की तारीख से पुस्तकालयाध्यक्ष और पीटीआई नियम, 2009 और सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों के लिए राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2010 सहित क्रमश: राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 और सरकारी कॉलेज के लिए राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2010 का लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी।

(vii) इन नियमों के अंतर्गत नियुक्ति के बाद सरकार में शामिल होने की तारीख से पहले की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा किसी भी

खाते पर कोई बकाया (वेतन, चयन पैमाने, सुनिश्चित कैरियर प्रगति या कैरियर उन्नति योजना के बकाया सहित) का भुगतान नहीं किया जाएगा।

viii) विशेषाधिकार अवकाश की शेष राशि को आगे ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कर्मचारी संबंधित अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से पी.एल. की शेष राशि का नकदीकरण प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

[(ix) इन नियमों के तहत सरकारी सेवा में नियुक्त होने वाले व्यक्ति राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005 के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे और राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के प्रावधान उन पर लागू नहीं होंगे। इन नियमों के तहत नियुक्ति के बाद सरकार में शामिल होने की तारीख से पहले की अवधि के लिए गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अंशदायी भविष्य निधि अंशदान का भुगतान नहीं किया गया है, तो राज्य सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा।]

(x) सहायता प्राप्त संस्थानों में सेवा की अवधि को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए नहीं गिना जाएगा, कर्मचारी संबंधित अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से ग्रेच्युटी का भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(xi) प्रत्येक कर्मचारी को फॉर्म-II में एक वचनपत्र निष्पादित करना होगा, कि वह स्वेच्छा से इन नियमों के तहत निर्धारित सेवा के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता है और सरकार की सेवा में सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक वह ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में सेवा करने के लिए सहमत है।"

2010 के नियमों के नियम 4 और 5 को पढ़ने मात्र से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान (संक्षेप में 'एनजीईआई') में संस्वीकृत और अनुमोदित पद पर काम करने वाले नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी को कुछ नियमों और शर्तों पर नियुक्ति दी जा सकती है।

2010 के नियमों का नियम 2(छ) "कर्मचारी" शब्द को परिभाषित करता है जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"**नियम 2(छ) "कर्मचारी"** का अर्थ किसी मान्यताप्राप्त गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में काम करने वाला कर्मचारी है और जो सहायता प्राप्त और स्वीकृत पद के विरुद्ध काम कर रहा है।"

नियम 2(छ) के अनुसार कर्मचारी का तात्पर्य सहायता प्राप्त एवं स्वीकृत पद पर कार्यरत कर्मचारी से है।

अब मूल प्रश्न यह है कि "क्या याचिकाकर्ता सहायता प्राप्त एवं स्वीकृत पद पर

कार्य कर रहा था?"

यह स्वीकार्य है कि याचिकाकर्ता को 17.07.1986 को परिवीक्षा पर व्याख्याता (मनोविज्ञान) के पद पर प्रत्यर्थी-कॉलेज में नियुक्त किया गया था। परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर 15.12.1987 को उनकी सेवाएँ नियमित कर दी गईं। 13.03.1992 को, राजस्थान विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता की उपरोक्त नियुक्ति के अनुमोदन का आदेश इस शर्त पर पारित किया कि वह पोस्ट-ग्रेजुएशन के संबंधित विषय में एम.फिल में डिग्री प्राप्त करेगी और वह उसमें उत्तीर्ण हुई। 20.02.1993 को, उसकी सेवाएं प्रत्यर्थी-कॉलेज द्वारा समाप्त कर दी गईं और उसने आरएनजीईआई ट्रिब्यूनल के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की और 02.05.2001 को इसकी अनुमति दी गई और उसकी सेवा समाप्ति का आदेश रद्द कर दिया गया और प्रत्यर्थी-कॉलेज को उसे सभी लाभों के साथ बहाल करने के लिए एक निर्देश जारी किया गया और 20.07.2001 को उसे सेवा में शामिल होने की अनुमति दी गई।

इस बीच, आरएनजीईआई नियम, 1993 लागू हो गए और सरकार ने दिनांक 11.01.1994 के आदेश के तहत प्रत्यर्थी-कॉलेज को 70% सहायता देने का निर्णय लिया और 08.02.1996 को सरकार ने (1) श्रीमती रीना शेखावत (2) नीलम कृष्णैया (3) प्रीति सिंह और (4) डॉ. मनोरमा त्यागी की व्याख्याता (मनोविज्ञान) के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी क्योंकि स्क्रीनिंग चयन समिति ने दिनांक 11.12.1995 की बैठक में उपरोक्त चार व्यक्तियों के चयन को मंजूरी दे दी थी, जिसका अर्थ है कि प्रत्यर्थी-कॉलेज में मनोविज्ञान में व्याख्याता के केवल चार संस्वीकृत, सहायता प्राप्त और अनुमोदित पद थे, जिन पर सरकार द्वारा सहायता दी गई थी और उपरोक्त चार व्यक्तियों के नाम सरकार द्वारा अनुमोदित और संस्वीकृत किए गए थे।

30.08.2001 को, संयुक्त निदेशक (विधि) कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ने प्रत्यर्थी-कॉलेज के सचिव को एक पत्र (अनुलग्नक आर/2/1) लिखा जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि निम्नलिखित चार व्याख्याता स्वीकृत, सहायता प्राप्त एवं स्वीकृत पद पर काम कर रहे हैं:-

क्रम संख्या	**नाम**	**नियुक्ति की तारीख**
1.	श्रीमती रीना शेखावत	11.12.1995
2.	श्रीमती प्रीति सिंह	11.12.1995

3.	डा. मनोरमा त्यागी	11.12.1995
4.	श्रीमती नीलम कृष्णनैया	26.02.1996

उपरोक्त पत्र दिनांक 30.08.2001 में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता के पद पर कोई सहायता नहीं दी गई थी। इस प्रकार, प्रत्यर्थी-कॉलेज याचिकाकर्ता के पद के लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार है। अतः यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 के कॉलेज में व्याख्याता (मनोविज्ञान) के संस्वीकृत, अनुमोदित और सहायता प्राप्त पद पर कार्यरत नहीं था। 30.08.2001 का यह पत्र याचिकाकर्ता की जानकारी में था लेकिन याचिकाकर्ता ने इसकी वैधता को चुनौती नहीं दी है और ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने इस पत्र की सामग्री को स्वीकार कर लिया है। इसलिए, याचिकाकर्ता को अब यह दावा करने से रोका जाता है कि वह 01.04.1994 से व्याख्याता (मनोविज्ञान) के संस्वीकृत, अनुमोदित और सहायता प्राप्त पद पर कार्यरत है।

प्रत्यर्थी-कॉलेज का मामला है कि याचिकाकर्ता का पद न तो सरकार द्वारा स्वीकृत था और न ही अनुमोदित था। प्रत्यर्थी-कॉलेज दिनांक 01.04.1994 से सहायता प्राप्त संस्थानों की सूची में शामिल हुआ लेकिन फिर भी याचिकाकर्ता का पद कभी स्वीकृत नहीं किया गया और न ही उसे कभी सहायता दी गई।

आरएनजीईआई नियम, 1993 का अध्याय V सेवा की सामान्य शर्तों से संबंधित है।

आरएनजीईआई नियम, 1993 का नियम 26 मान्यताप्राप्त संस्थान में कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित है। आरएनजीईआई नियम, 1993 के नियम 27 और 28 नियुक्ति की मंजूरी से संबंधित हैं, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:-

> "26. भर्ती- किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में कर्मचारियों की भर्ती योग्यता के आधार पर या तो व्यापक प्रसार वाले स्थानीय दैनिक समाचारपत्र में खुले विज्ञापन के बाद या रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों में से नीचे निर्धारित तरीके से की जाएगी:-
>
> (क) समाचारपत्र में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन में निम्नलिखित विवरण शामिल किए जाएंगे:-
>
> (i) पद का नाम और संख्या,
> (ii) अपेक्षित अर्हताएं,
> (iii) वेतनमान,
> (iv) अपेक्षित अनुभव,

(V) अन्य अर्हताएं,

(Vi) विनिर्दिष्ट तारीख को न्यूनतम और अधिकतम आयु,

(Vii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पद/पदों की संख्या।

(ख) आयोजन सचिव के पद को छोड़कर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में समान श्रेणी के कर्मचारियों के लिए योग्यताएं सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी, जिसके लिए योग्यताएं निम्नानुसार होंगी:-

I. ऐसे प्रबंधन जिनके पास प्रतिवर्ष 20 लाख रुपये और उससे अधिक के स्वीकृत व्यय के साथ तीन या अधिक संस्थान हैं।	नीचे श्रेणी II के संस्थानों में आयोजन सचिव के रूप में 5 वर्ष के अनुभव के साथ स्नातक।
II. ऐसे प्रबंधन जिनके के पास प्रतिवर्ष 10 लाख और अधिक परंतु 20 लाख रुपये से कम के स्वीकृत व्यय के साथ तीन या अधिक संस्थान हैं।	वरिष्ठ माध्यमिक उत्तीर्ण

(ग) विज्ञापनों के उत्तर में प्राप्त सभी आवेदनों की जांच प्रबंध समिति के सचिव द्वारा की जाएगी जो पात्र उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेंगे और उन्हें चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाएंगे।

(घ) चयन समिति निम्न से मिलकर बनेगी:-

(i) प्रबंध समिति के दो प्रतिनिधि।

(ii) संबंधित संस्थान का प्रमुख।

(iii) शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक अधिकारी।

महाविद्यालयों के लिए प्राचार्य पद के लिए चयन के मामले में दो विशेषज्ञ/शिक्षाविद् और अन्य पद के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा नामित एक शिक्षाविद् विशेषज्ञ को भी उपरोक्त सदस्यों के अलावा चयन समिति में शामिल किया जाएगा।

(ड.) चयन समिति के सदस्य के लिए शिक्षा निदेशक द्वारा नामित व्यक्ति इस प्रकार होंगे:-

क्र.सं.	पद का नाम	संस्थान	विभागीय अधिकारी का दर्जा
1	2	3	4
1	प्राचार्य	डिग्री और शास्त्री कॉलेज	संयुक्त निदेशक , शिक्षा
2	प्राचार्य	स्नातकोत्तर कॉलेज और आचार्य कॉलेज	शिक्षा निदेशक
3	व्याख्याता/ विभाग प्रमुख	डिग्री और पी.जी. कॉलेज (सामान्य और संस्कृत)	उपनिदेशक, शिक्षा
4	हेडमास्टर/ प्राचार्य	प्रवेशिका और पूर्व प्रवेशिका सहित माध्यमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय,	उप निदेशक, शिक्षा (पी एंड एस और संस्कृत)
5	व्याख्याता स्कूल शिक्षा	उपाध्याय सहित वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	अपर डी.ई.ओ./ उप डी.ई.ओ./संस्कृत शिक्षा निरीक्षक
6	वरिष्ठ अध्यापक	माध्यमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, मोंटेसरी और प्रवेशिका और पूर्व प्रवेशिका सहित अन्य विशेष विद्यालय	हेडमास्टर/ प्राचार्य, वरिष्ठ माध्यमिक अथवा उपाध्याय
7	शिक्षक	सभी संस्था	उप डी.ई.ओ./संस्कृत शिक्षा निरीक्षक
8	मंत्रालयिक स्टाफ	सभी संस्थान	उप डी.ई.ओ./संस्कृत शिक्षा निरीक्षक
9	आयोजक सचिव और विशेष संस्थानों के अन्य पद	विशेष और केन्द्रीय कार्यालयों के माध्यमिक विद्यालय	उप डी.ई.ओ./संस्कृत शिक्षा निरीक्षक

(

च) सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन सभी श्रेणियों की सेवाओं अर्थात शिक्षकों, मंत्रालयिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि के लिए किया जाएगा।

(छ) चयन समिति, सभी उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेने के बाद, योग्यता के क्रम में उन्हें व्यवस्थित करते हुए उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करेगी और नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिशें प्रबंध समिति को प्रस्तुत करेगी।

27. **नियुक्तियों का अनुमोदन.-** प्रबंधन समिति, चयन के एक पखवाड़े के भीतर, चयनित उम्मीदवारों की सूची, अपनी सिफारिशों के साथ, निम्नलिखित प्रोफार्मा में जानकारी के साथ, परिशिष्ट-IXमें निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदन के लिए

अग्रेषित करेगी:

क्रमांक	पद का नाम	पद खाली होने के कारण		
		सेवानिवृत्ति	बर्खास्तगी	त्यागपत्र
1	2	3	4	5

पद का वेतनमान	साक्षात्कार के लिए बुलाए व्यक्ति का नाम	चयन समिति के सदस्यों के नाम	चयन की गए व्यक्तियों के नाम	जन्मतिथि	अर्हताएं
6	7	8	9	10	11

अनुभव	अंक देने के लिए चयन समिति द्वारा नियत किए गए मानक	चयन समिति द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए अंक	मूल नियुक्ति की तारीख	वेतन और वेतनमान	उत्कृष्ट योग्यता /अनुभव	टिप्पणी, यदि कोई हो
12	13	14	15	16	17	18

28. **सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन.**- सक्षम प्राधिकारी उचित विचार-विमर्श के बाद या तो प्रबंध समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे सकता है या लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से इसे अस्वीकार कर सकता है।"

2010 के नियमों की धारा 2 (छ) की वैधता और संवैधानिक वैधता को राजेंद्र प्रसाद शर्मा (सुप्रा.) के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी और इस न्यायालय ने पैरा संख्या 4, 16, 23, 24, 25, 28, 44, 65, 66 और 67 में अवलोकन करके इसे इस प्रकार बरकरार रखा था:-

"4. याचिकाकर्तागण की शिकायत यह है कि प्रत्यर्थी-राज्य द्वारा केवल गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को सरकारी सेवा में अवशोषण का विकल्प प्रदान करने की कार्रवाई की गई है, और गैर-सरकारी सहायता प्राप्त पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों की अनदेखी की गई है। गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के सहायता प्राप्त स्वीकृत पद, हालांकि उनकी नियुक्ति उसी चयन समिति (समितियों) द्वारा की गई थी, जिसमें एक सरकारी नामित व्यक्ति शामिल था; अतः यह मनमाना,

भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के जनादेश का उल्लंघन है। चुनौती विशेष रूप से 2010 के नियमों के नियम 2(छ) को दी गई है, जिसे दिनांक 29.11.2010 की अधिसूचना द्वारा प्रख्यापित किया गया है, जो इस प्रकार है:-

> *2(छ). कर्मचारी से तात्पर्य किसी मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में कार्यरत कर्मचारी से है जो सहायता प्राप्त एवं स्वीकृत पद पर कार्यरत है।*

16. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री राकेश शर्मा ने डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5641/2012 (घीसा राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य) में अपने पूर्ववर्ती अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि लैब असिस्टेंट के पद पर याचिकाकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति स्वीकृत अनुदान के विरुद्ध थी लेकिन संस्थान ने दिनांक 01.04.2008 से अनुदान सहायता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हालांकि राज्य सरकार ने संस्था की अनुदान सहायता बंद नहीं की और इसलिए, याचिकाकर्ता की संस्था की कार्रवाई के लिए याचिकाकर्ता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जिसने सहायता अनुदान की सुविधा का लाभ उठाने से इनकार कर दिया। विद्वान अधिवक्ता ने बाल भारती कोठारी स्कूल, सीकर के एक कर्मचारी का उदाहरण बताया, जिसे 2010 तक सहायता अनुदान प्राप्त हुआ था, और उनके दावे का समर्थन, उस मामले को बाल भारती कोठारी स्कूल, सीकर के कर्मचारी के मामले के बराबर करने का प्रयास किया। लेकिन तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता की संस्था ने 01.04.2008 से अनुदान सहायता का लाभ नहीं उठाया।

23. संस्थान 1993 के नियमों के नियम 17 के तहत निर्धारित किए गए अनुसार प्रत्येक वर्ष 31 मई तक शिक्षा निदेशक को एक आवेदन दायर करने के लिए बाध्य है। 1993 के नियमों के नियम 26 में किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में एक कर्मचारी की भर्ती की प्रक्रिया का प्रावधान है। संस्थान। नियम 26 का खंड (घ) चयन समिति के गठन का विवरण देता है और नियम 26 का खंड (च) आरक्षण नीति प्रदान करता है, जिसका सभी श्रेणियों की सेवाओं के लिए सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। 1993 के नियमों के नियम 26 के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार की गई नियुक्तियाँ 1993 के

नियमों के नियम 28 के आदेश के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के अध्यधीन हैं और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद ही, प्रबंध समिति आवश्यक नियुक्ति कर सकती है। सक्षम प्राधिकारी को 1993 के नियमों के नियम 2 (च) के तहत परिभाषित किया गया है। 1993 के नियमों का कड़ाई से अनुपालन किसी संस्थान को राज्य सरकार से अनुदान सहायता का दावा करने का अधिकार दे सकता है और 1993 के नियमों के नियम 17 के प्रावधानों के अनुसार पदों को शिक्षा निदेशक द्वारा स्वीकृत किया जाता है। इसलिए, अनुदान सहायता से सुविधा प्राप्त संस्थान, प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत पद पर नियुक्ति देने के लिए बाध्य है और 1993 के नियमों के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के अध्यधीन है। इसलिए, इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों की श्रेणी एक अलग वर्ग का गठन करती है।

24. संस्थानों को सहायता अनुदान समिति की सलाह के तहत वर्गीकृत किया गया है और उन्हें 80% की सीमा तक भी सहायता अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा, शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रायोगिक और अग्रणी तर्ज पर शिक्षा में लगे संस्थानों की विशेष श्रेणी के लिए अनुदान सहायता 90% तक बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार, जो कर्मचारी अनुदानित एवं स्वीकृत पदों पर कार्य कर रहे हैं और उनके पारिश्रमिक का बड़ा भाग राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है, उन्हें 2010 के नियमों के तहत सरकारी सेवा में प्रवेश करने का विकल्प दिया गया है, जबकि गैर-सहायता प्राप्त पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के संदर्भ में पदों से राज्य पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ता है।

25. '2010 के नियम' के प्रख्यापन का अंतर्निहित उद्देश्य ऐसे सहायता प्राप्त पदों की अनुदान सहायता को रोकना था, जहां कर्मचारियों ने 2010 के नियमों के तहत स्वैच्छिक सेवा का विकल्प चुना था, और वह एक मरणासन्न संवर्ग है जिससे कि प्रत्यर्थी-राज्य को वित्तीय बोझ से राहत मिल सके।

28. इसके अलावा, 1989 के अधिनियम और 1993 के नियमों के प्रावधान, निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जमा करने और कुछ शर्तों की पूर्ति के अधीन शैक्षणिक संस्थानों को अनुदान सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा, सहायता अनुदान वार्षिक आधार पर स्वीकृत किया जाता है। राज्य और शिक्षकों के बीच रोजगार

अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं है क्योंकि वे संबंधित शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारी हैं।

44. इसमें कोई विवाद नहीं है कि गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में पदों के दो सेट मौजूद हैं, एक सहायता प्राप्त स्वीकृत पद और दूसरा गैर-सहायता प्राप्त स्वीकृत पद।

65. राज्य ने इस तथ्य की पृष्ठभूमि में एक नीतिगत निर्णय के रूप में फैसला लिया है, कि जो कर्मचारी, एडेड संस्वीकृत पद पर काम कर रहे हैं, उनके पारिश्रमिक का एक बड़ा हिस्सा राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है और इसलिए, वित्तीय बोझ को ध्यान में रखते हुए 2010 के नियमों के तहत के ग्रामीण सेवा क्षेत्रों में प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है, अतः इस कारण से इसे औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ऐसे पदों पर सहायतानुदान बंद कर देगी, जबकि दूसरी ओर गैर-एडेड संस्वीकृत पद पर कार्यरत कर्मचारियों को उनके वेतन एवं पारिश्रमिक, आदि का भुगतान करने में राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ता है। इसके अलावा, 1989 के अधिनियम की धारा 7 एक सक्षम प्रावधान है और शक्ति के प्रयोग के लिए पर्याप्त दिशानिर्देश प्रदान किए गए हैं। शक्ति के प्रयोग के कारण वैध और तर्कसंगत हैं। एक बार के उपाय के रूप में, केवल गैर-सरकारी एडेड शैक्षणिक संस्थानों के एडेड और संस्वीकृत पदों के विरुद्ध काम करने वाले कर्मचारियों को नियम 2 (छ) के शासनादेश के अनुसार 2010 के नियमों के तहत सरकारी सेवा में प्रवेश करने का विकल्प दिया गया है।

66. अनुच्छेद 14 समान व्यवहार से भिन्न व्यवहार की समानता की गारंटी देता है। केवल भेदभाव या व्यवहार में असमानता का मतलब भेदभाव नहीं है। सहायता अनुदान का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि यह वित्तीय संसाधनों और अन्य प्रासंगिक विचारों पर निर्भर करता है। 2010 के नियमों के तहत वर्गीकरण प्राप्त की जाने वाली वस्तु के तर्कसंगत संबंध के साथ एक समझदार अंतर पर आधारित है। याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता संवैधानिक सिद्धांतों के किसी भी स्पष्ट उल्लंघन की ओर इशारा करते हुए, किसी भी ठोस कारण से हमें सहमत नहीं कर सके हैं।

67. इस प्रकार, यहां ऊपर बताए गए कारणों और चर्चाओं के आधार पर, हमें यह

मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि 29.11.2010 की अधिसूचना के तहत जारी 2010 के नियमों का नियम 2(छ) पूरी तरह से कानूनी और वैध है।"

रविशंकर श्रीवास्तव और अन्य (सुप्रा.) के मामले में इस न्यायालय के समक्ष भी यही प्रश्न उठा और यह निर्णय लिया गया कि जो कर्मचारी गैर-एडेड पदों पर काम कर रहे हैं, वे 2010 के नियमों के तहत नियुक्ति पाने के लिए किसी भी लाभ का दावा करने के पात्र नहीं हैं। त्वरित संदर्भ के लिए, इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"मेरी राय में, सरकार द्वारा एडेड विद्यालयों में एडेड पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को एक अवसर देने का प्रयास किया गया है, जिसके लिए सरकार धन और वित्त प्रदान कर रही है। सरकार की इस कार्रवाई का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी शैक्षिक मानकों को बनाए रखना है। इसके अलावा, एडेड पदों पर नियुक्तियाँ नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के बाद की जानी आवश्यक हैं; लेकिन, प्रबंधन या एडेड पदों के अलावा अन्य पदों पर नियुक्तियों के संबंध में एडेड संस्थाएं नियुक्ति के नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही हैं, इसलिए उन कर्मचारियों को एडेड पदों के विरुद्ध काम करने वाले कर्मचारियों के बराबर नहीं माना जा सकता है, क्योंकि, धनराशि एवं वित्त स्वीकृत करते समय शासन द्वारा शर्त लगाई जाती है कि पद पर नियुक्ति नियमों का पालन करते हुए की जाएगी तथा नियुक्ति प्रदान करते समय उक्त पद हेतु योग्यताओं पर भी विचार किया जाएगा। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई लाभ उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो स्वीकृत एडेड पदों के विरुद्ध सहायता प्राप्त स्कूलों में काम कर रहे हैं, तो ऐसे लाभ का दावा अन्य कर्मचारियों द्वारा नहीं किया जा सकता है जो प्रबंधन या अन्य गैर-एडेड पदों पर काम कर रहे हैं।

चूंकि याचिकाकर्ता की नियुक्ति आरएनजीईआई नियम, 1993 के नियम 26, 27 और 28 के तहत निहित प्रावधानों और प्रक्रिया के अनुसार नहीं थी, इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता अनुमोदित, संस्वीकृत और एडेड पद पर कार्यरत था। प्रत्यर्थी-कॉलेज को याचिकाकर्ता के पद के विरुद्ध सरकार से कोई सहायता नहीं मिल रही

थी। चूंकि याचिकाकर्ता व्याख्याता (मनोविज्ञान) के अनुमोदित और संस्वीकृत पद पर कार्यरत नहीं था, अतः याचिकाकर्ता नियमावली 2010 के नियम 4 के तहत सरकारी सेवा में नियुक्ति पाने का पात्र नहीं है।

ऊपर की गई चर्चाओं के मद्देनजर, इस याचिका में कोई योग्यता नहीं है और तदनुसार इसे अपास्त किया जाता है।

स्थगन आवेदन के साथ-साथ सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, भी अपास्त कर दिए जाते हैं।

(अनूप कुमार ढंड), न्यायमूर्ति

SharmaNK/32

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।